



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2013/पौष 28, 1934

No. 177]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 2013/PAUSA 28, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2013

क्र.अ. 192(अ).—बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 की सं. 4) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, जनवरी 2013 की 18 तारीख को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस तिथि से उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 6/2/2010-बीओ-II-भाग]

आलोक निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2013

S.O. 192(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Banking Laws (Amendment) Act, 2012 (No. 4 of 2013), the Central Government hereby appoints the 18th Day of January, 2013, as the date on which all the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No. 6/2/2010-BO-II-Part]

ALOK NIGAM, Jt. Secy.